सत्यमेव जयते

सं. 3(8)/2021-पी & पी डब्ल्यू(एच)-7246

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
***

8 वीं मंजिल, बी-विंग,
जनपथ भवन, जनपथ,
नईदिल्ली-110001
दिनांक: 16 जून, 2021

सेवा में,

सभी पेंशन संवितरण बैंकों के केंद्रीकृत पेंशन संदाय केंद्र/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

विषय: - बैंकों द्वारा कुटुंब पेंशन मामलों का शीघ्र निपटान।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के संज्ञान में ऐसे मामले लाए गए हैं, जहां पेंशन संवितरण बैंकों द्वारा पेंशनभोगी की मृत्यु पर, मृतक पेंशनभोगी के पति/पत्नी/परिवार के सदस्यों को ऐसे ब्यौरों और कागजातों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जो कुटुंब पेंशन प्रारम्भ करने के लिए अन्यथा अपेक्षित नहीं है। इससे पति/पत्नी और परिवार के सदस्यों को परेशानी होती है और इसके परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा कुटुंब पेंशन प्रारम्भ करने में परिहार्य विलंब होता है।

2. मृतक पेंशनभोगी को जारी किए गए पीपीओ में, पति/पत्नी/परिवार के सदस्य, जिसका भी नाम सम्मिलित है, कुटुंब पेंशन प्रारम्भ करने के लिए, उसके द्वारा **केवल** निम्नलिखित ब्यौरों/कागजातों को जमा करना अपेक्षित होगा:

I ऐसी मामलों में जहां मृतक पेंशनभोगी और पति/पत्नी का संयुक्त खाता था:

- कुटुंब पेंशन प्रारम्भ करने के लिए साधारण पत्र/आवेदन
- मृतक पेंशनभोगी की बाबत मृत्यु प्रमाणपत्र
- पेंशनभोगी को जारी पीपीओ की प्रति, यदि उपलब्ध हो तो
- आवेदक की आयु/जन्मतिथि का प्रमाण

कुटुंब पेंशन प्रारम्भ करने के लिए पति/पत्नी/परिवार के सदस्य को प्ररूप-14 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

II ऐसे मामलों में जहां पति/पत्नी का मृतक पेंशनभोगी के साथ संयुक्त खाता नहीं था;

- प्ररूप-14में आवेदन जिसमें दो गवाहों ने हस्ताक्षर किए हों
- मृतक पेंशनभोगी की बाबत मृत्यु प्रमाणपत्र
- पेंशनभोगी को जारी पीपीओ की प्रति, यदि उपलब्ध हो
- आवेदक की आयु/जन्मतिथि का प्रमाण

प्ररूप-14 को किसी राजपत्रित अधिकारी आदि से सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं है। संदाय करने वाला बैंक पीपीओ में दी गई जानकारी और अपनी "अपने ग्राहक को जानें" प्रक्रियाओं के आधार पर पति/ पत्नी/परिवार के सदस्य की पहचान करेगा।

III ऐसे मामलों में जहां पेंशनभोगी और पति/पत्नी की मृत्यु होने पर, **कुटुंब पेंशन परिवार के किसी अन्य सदस्य को अंतरित की जानी है;**

• यदि परिवार के अन्य सदस्य को पीपीओ में कुटुंब पेंशन के लिए सह-प्राधिकृत किया गया है, तो उपरोक्त उप-पैरा II में दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

• यदि परिवार के अन्य सदस्य का नाम पीपीओ में सम्मिलित नहीं है, तो उन्हें नया पीपीओ जारी किए जाने के लिए उस कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी जा सकती है, जहां सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगीने अंतिम सेवा की थी।

3. यह अनुरोध किया जाता है कि आप अपने बैंक के केंद्रीकृत पेंशन संदाय केंद्रों (सीपीपीसी) और पेंशन संदाय करने वाली शाखाओं को उपयुक्त निर्देश जारी करें कि वे कुटुंब पेंशन के दावेदारों से केवल न्यूनतम आवश्यक ब्यौरे/कागजात प्राप्त करें, जैसा कि ऊपर वर्णित है और यह सुनिश्चित करें कि अनावश्यक ब्यौरों और कागजातों की मांग के कारण दावेदार किसी उत्पीड़न के शिकार न हों। **बैंक द्वारा कुटुंब पेंशन प्रारम्भ करने के लिए आवेदक के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्यों के ब्यौरे संगत नहीं है और इसलिए किसी भी परिस्थिति में आवेदक से इनकी मांग न की जाए।**

4. इस विभाग को 15 अक्टूबर और 15 अप्रैल तक, कुटुंब पेंशन की संस्वीकृति की प्रगति पर अर्ध-वार्षिक विवरणी, संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत की जाए।

5. इसे **अति आवश्यक** माना जाए।

(नरेश भारद्वाज)
भारत सरकार के उपसचिव
टेलीफोन: 23350020

प्रति:

सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, सूचनार्थ

1 अप्रैल. . . . . से 30 सितंबर. . . . . /1 अक्टूबर. . . . . से 31 मार्च, ... तक की अवधि के लिए विवरणी

अग्रानीत कुटुंब पेंशनदावों की संख्या	विगतछहमास के दौरानप्राप्तकुटुंब पेंशनदावों की संख्या	विगतछहमास के दौरान प्रारम्भ किए गए कुटुंब पेंशन मामलों की संख्या					लंबित कुटुंब पेंशन मामलों की संख्या			
		एक मास से कम	1-3 मास	3-6 मास	6-9 मास	9-12 मास	1-3 मास	3-6 मास	6-12 मास	एक वर्ष से अधिक

जिन मामलों में कुटुंब पेंशन एक मास के बाद संस्वीकृत की गई है और जो मामले एक मास से अधिक समय से लंबित हैं, उनमें विलंब के कारणों और भविष्य में विलंब से बचने के लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाई को भी विवरणी में उपदर्शित किया जाए।